न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2024/179

01. मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी तहसील खाजूवाला ....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :—02.01.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.06.95 का खातेदार दाउलाल से खरीद की जिसका इंतकाल सं0 99 दिनांक 15.01.96 से दर्ज हुआ है अन्य किला भाई बाबूसिंह के नाम खरीद किया। उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादी काबिज काश्त है तथा ढ़ाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज रहा और उसी मुताबिक मूलनिवास, परिचयपत्र, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट सब में मलकीतसिंह दर्ज रहा और उसी आधार पर बैयनामा करवा रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया लेकिन अनपढ़ व जारकारी के अभाव में ध्यान नहीं दिया चूंकि गांव लिखमीसर के ग्रामसेवक द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहवन से मलकीतसिंह की जगह मलकीयतसिंह लिख देने से बैयनामा भी इसी नाम से हो गया और कालान्तर में कही दिक्कत भी नहीं आई अब रिकॉर्ड ऑनलाईन आधार से अपडेट हुआ तो बैंक अधिकारियों ने बताया की आपकी केसीसी अपडेट आधार मुताबिक नहीं हो रही नाम में दिक्कत है दुरूस्त करवावें तो वादी को जानकारी लगी। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम मलकीयतसिंह की जगह राजस्व रिकॉर्ड में मलकीतसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 की तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का दस्तावेजी नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी खाजूवाला जिला बीकानेर दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, प्रमाणपत्र पिछड़ा वगै, मूलनिवास प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, बैयनामा इंतकाल, नक्शा एवं खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है व मलकीतसिंह के भाई बाबूसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/25/1049 दिनांक 05.08.25 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें पटवारी हल्का ने लिखा है कि आधारकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस व जनआधार में प्रार्थी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह की शुद्धि की जानी उचित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 की तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह की जगह मलकीतसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 02.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)